



OPERATION CONVICTION

जनपद रामपुर



प्रेस नोट:-

“श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, महोदय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास एवं 03 लाख रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अपराध का विवरण:-

अवगत कराना है कि दिनांक 11.10.2022 को वादी की तहरीरी सूचना बावत अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी (वादी की बहन) की पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर देने एवं वादी व वादी के तहरे भाई एवं जीजा को जाने से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना बिलासपुर पर मु०अ०सं०- 443/22 धारा- 302/506 भादवि बनाम 1.जयदीप पुत्र स्व० रणवीर सिंह निवासी ग्राम विर्क फार्म डिबडिबा थाना बिलासपुर जनपद रामपुर तथा दिनांक 14.10.2022 को अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देशी पिस्टल .30 बोर मय एक मैगजीन मय 06 जिन्दा कारतूस (आला कत्ल) बरामद होने के सम्बन्ध में मु०अ०सं० 447/22 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम जयदीप उपरोक्त पंजीकृत किया गया था ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक- 23.07.2024 को मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश विशेष न्यायधीश ई०सी० एक्ट, रामपुर द्वारा अभियुक्त जयदीप उपरोक्त को सश्रम आजीवन कारावास एवं 03 लाख रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सजा का विवरण:-

अभियुक्त जयदीप उपरोक्त को सश्रम आजीवन कारावास एवं 03 लाख रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

@rampurpolice

रामपुरपुलिस

@रामपुरपुलिस

7839859826



OPERATION CONVICTION

जनपद रामपुर



प्रेस नोट:-

“श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, महोदय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष 02 माह का सश्रम कारावास एवं 5,000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अपराध का विवरण:-

अवगत कराना है कि दिनांक 22.08.2019 को अभियुक्त के कब्जे से 11 ग्राम स्मैक बरामद होने के संबंध में थाना शहजादनगर पर मु०अ०सं०- 286/19 धारा- 8/21 NDPS Act बनाम अफजाल पुत्र छोटे निवासी ढोलसिर मतवाली थाना पटवाई जनपद रामपुर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक- 23.07.2024 को मा० न्यायालय ADJ-V, रामपुर द्वारा अभियुक्त अफजाल उपरोक्त को 03 वर्ष 02 माह का सश्रम कारावास एवं 5,000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सजा का विवरण:-

अभियुक्त अफजाल उपरोक्त को 03 वर्ष 02 माह का सश्रम कारावास एवं 5,000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

 @rampurpolice

 रामपुरपुलिस

 @रामपुरपुलिस

 7839859826